वित्तीय समितियां
(2014-2015)

(एक समीक्षा)

लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
और
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सितंबर, 2015/*भाद्रपद,* 1937 (*शक*)

<u>पी॰एं॰सी॰ सं॰ 2056</u>

मूल्य: ₹ 90.00

© 2015 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मुद्रित।

विषय-सूची

		पृष्ठ
आमुख	....	(iii)
अध्याय एक	लोक लेखा समिति	1
अध्याय दो	प्राक्कलन समिति	10
अध्याय तीन	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति...	18

परिशिष्ट

एक.	लोक लेखा समिति (2014-15) की संरचना	22
दो.	लोक लेखा समिति द्वारा (वर्ष 2014-15 के दौरान) जांच हेतु चयनित विषय	23
तीन.	लोक लेखा समिति (2014-15) की उप-समितियों की संरचना	33
चार.	लोक लेखा समिति (2014-15) (मुख्य समिति) की बैठकों की तिथियां और अवधि दर्शाने वाला विवरण	35
पांच.	लोक लेखा समिति (2014-15) (मुख्य समिति) के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	44
छह.	लोक लेखा समिति (2014-15) की उप-समितियों की बैठकों की तिथियां और अवधि दर्शाने वाला विवरण	45
सात.	लोक लेखा समिति (2014-15) के अध्ययन दौरे का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	48
आठ.	प्राक्कलन समिति (2014-15) की संरचना	53
नौ.	प्राक्कलन समिति (2014-15) की बैठकों के ब्यौरे और अवधि को दर्शाने वाला विवरण	54
दस.	प्राक्कलन समिति (2014-15) के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण...	57
ग्यारह.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014-15) की संरचना	59
बारह.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014-15) की बैठकों की तिथियां और अवधि, सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषयों को दर्शाने वाला विवरण	60
तेरह.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014-15) के कार्यकाल के आरंभ से 30 अप्रैल, 2015 तक हुई कुल बैठकों की संख्या तथा समिति के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति दर्शाने वाला विवरण	65
चौदह.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014-15) का अध्ययन दौरा	66

आमुख

इस पुस्तिका का उद्देश्य संसद की तीन वित्तीय समितियों, नामतः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 01 मई, 2014 से 30 अप्रैल, 2015 तक के कार्यकलापों संबंधी समस्त संगत जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है।

2. सुलभ संदर्भ सुविधा के लिए, सांख्यिकीय आंकड़े तालिकाओं और परिशिष्टों में दिये गये हैं।

नई दिल्ली;

22 सितम्बर, 2015

31 भाद्रपद, 1937 (शक)

अनूप मिश्र

महासचिव

अध्याय एक

लोक लेखा समिति

एक. निर्वाचन और संरचना

वर्ष 2014-2015 के लिए लोक लेखा समिति का गठन 14 अगस्त, 2014 को किया गया था। इस समिति में पन्द्रह सदस्यों का लोक सभा के और सात सदस्यों का राज्य सभा के सदस्यों में से चयन किया गया था। इस समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त हुआ।

1.2 प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस, संसद सदस्य और समिति के सदस्य को अध्यक्ष द्वारा सभापति नियुक्त किया गया, देखिए, दिनांक 14 अगस्त, 2014 का समाचार भाग-दो। समिति (2014-2015) की संरचना **परिशिष्ट-एक** में दी गई है।

1.3 लोक सभा सदस्य, डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै के 13 अगस्त, 2014 से माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा नियुक्त होने के परिणामस्वरूप डॉ॰ पोन्नुसामी वेणुगोपाल को दिनांक 03 दिसंबर, 2014 से लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया। श्री राजीव प्रताप रूडी के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त होने पर समिति के सदस्य न रहने पर उनके स्थान पर श्री दुष्यन्त सिंह को 3 दिसम्बर, 2014 से लोक लेखा समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया। श्री जयन्त सिन्हा के 9 नवम्बर, 2014 से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त होने के परिणामस्वरूप श्री शिव कुमार उदासि को 3 दिसंबर, 2014 से निर्वाचित किया गया।

दो. जांच हेतु चयनित विषय

1.4 लोक लेखा समिति ने वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु 81 विषयों/लेखापरीक्षा पैराओं का चयन किया। इन विषयों का ब्यौरा **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है। समिति ने आरंभ में जांच हेतु 41 विषयों का चयन किया था। इसे समाचार भाग-दो दिनांक 18 सितम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इन 41 विषयों में से परिशिष्ट-दो में श्रेणी एक और श्रेणी दो के रूप में उल्लिखित 20 विषयों का चयन मूल रूप से पूर्ववर्ती समिति द्वारा किया गया था। पूर्व समिति द्वारा इन 20 विषयों की जांच का कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण इन विषयों का वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु पुन: चयन किया गया। बाद में समिति ने रेल मंत्रालय से संबंधित 5 विषयों का चयन किया और इन्हें 25 नवंबर, 2014 के समाचार भाग-दो द्वारा अधिसूचित किया गया था। यथासमय समिति ने 25 अतिरिक्त विषयों का चयन किया जिन्हें 20 जनवरी, 2015 के समाचार भाग-दो द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु चयनित 81 विषयों में से 20 विषयों की जांच जारी रखी गई और 61 विषय नए चुने गए।

तीन. उप-समितियों का गठन

1.5 वर्ष 2014-15 के कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति की पांच उप-समितियों का गठन किया गया। उप समिति-एक से चार के गठन की अधिसूचना दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 के समाचार भाग-दो और उप समिति-पांच के गठन की अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2015 के समाचार भाग-दो में दी गई थी। इन उप-समितियों को निम्नलिखित विषयों की जांच का कार्य सौंपा गया जैसा कि उनमें से प्रत्येक के आगे दर्शाया गया है:—

(एक)	उप समिति-एक (रक्षा)	(एक) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 2.1 के आधार पर 'रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन'; (दो) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 2.3 के आधार पर 'टैंकों में एयरकंडीशनरों का न लगाया जाना'; (तीन) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 2.5 के आधार पर 'प्रभावकारी नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप बकाया राशियों की गैर-वसूली'; (चार) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 3.5 के आधार पर 'मकानों में अप्राधिकृत सुदृढ़ीकरण उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त व्यय'; (पांच) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 5.1 के आधार पर 'एएनयूआरएजी द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय'; (छह) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 6.3 के आधार पर 'विनिमय दर परिवर्तन की अनुमति देकर एक विदेशी आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ'; (सात) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 6.4 के आधार पर 'निविदा जांच में शर्तों शिथिल करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ'; (आठ) वर्ष 2014 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 34 के पैरा 2.1 पर आधारित ''प्रशिक्षक वायुयान की अधिप्राप्ति''; और (नौ) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 35 के पैरा 2.2 पर आधारित ''27.32 करोड़ रुपये मूल्य के अस्वीकार्य उपकरण की अधिप्राप्ति''।
(दो)	उप समिति-दो (रेलवे)	(एक) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 2.1 के आधार पर ''लंबी दूरी तक ले जाने वाले मालभाड़ा (माल) यातायात मार्गों का युक्तियुक्तकरण''; (दो) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 2.4 के आधार पर ''मेट्रो रेल: स्मार्ट कार्ड शुरू करने का अविवेकपूर्ण निर्णय''; (तीन) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 4.1 के आधार पर ''भारतीय रेल में रेल इंजनों का अनुरक्षण''; (चार) वर्ष 2013 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 4.2 के आधार पर ''सेंटर बफर कपलर (सीबीसी) संघटकों की विफलता के कारण ट्रेन पार्टिंग को नुकसान''; (पांच) वर्ष 2011-12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 32

		पर आधारित बेशी रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग; (छह) वर्ष 2013 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 11 पर आधारित भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रचार; (सात) वर्ष 2013 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 25 पर आधारित भारतीय रेलवे ने स्थायी रेलपथ सामग्री की खरीद और उपयोगिता; (आठ) वर्ष 2013 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 25 पर आधारित भूमि की खरीद को अविवेकपूर्ण निर्णय; (नौ) रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण; (दस) वर्ष 2014 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 26 के पैरा 2.1 पर आधारित भारतीय रेल में तुलासेतुओं का निष्पादन; और (ग्यारह) वर्ष 2014 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 19 पर आधारित भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन।
(तीन)	उप समिति-तीन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)	(एक) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 6 के पैरा 1.17 के आधार पर ''सेवा कर विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा'; (दो) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 6 के पैरा 3.6 के आधार पर ''सेवा कर लेखापरीक्षा पुस्तिका प्रावधानों की अपर्याप्तता''; (तीन) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 6 के पैरा 3.9.2 के आधार पर ''आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा के समय पूर्व समापन के कारण सेवा कर की गैर-वसूली''; (चार) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 8 के पैरा 1.135 के आधार पर ''अनंतिम निर्धारण''; (पांच) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 8 के पैरा 1.35 के आधार पर ''कर बकाया''; (छह) वर्ष 2014 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 8 के पैरा 3.5.1 के आधार पर ''सेनवैट क्रेडिट का अनियमित उपयोग''; (सात) वर्ष 2014 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 32 के पैरा 2.7 पर आधारित दावों का गलत प्रमाणीकरण; और (आठ) वर्ष 2014 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 33 के पैरा 3.1 के उप-पैरा 3.1.1 के आधार पर अंत: संबंधित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की 182.71 करोड़ रुपए की देयता।
(चार)	उप समिति-चार गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य	गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों का मंत्रालय/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किया जाना।

	मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों का मंत्रालय/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किया जाना।	
(पांच)	उप समिति-पांच (अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, रेलवे के अतिरिक्त)	(एक) वर्ष 2010-11 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 9 के पैरा 6.1 पर आधारित भारतीय चांसरी के लिए संपत्ति का त्रुटिपूर्ण क्रय और उनके नवीकरण पर अनौचित्य पूर्ण व्यय'' (दो) वर्ष 2010-11 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 16 के पैरा 6.3 पर आधारित सरकार संपत्ति का खराब अनुरक्षण तथा किराया प्रभारों का परिहार्य व्यय (तीन) वर्ष 2011-12 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 16 के पैरा 6.1 पर आधारित ''पेरिस में भारतीय चांसेरी के निर्माण में विलंब; (चार) वर्ष 2011-12 के सीएण्डएजी के प्रतिवेदन सं॰ 16 के पैरा 6.2 पर आधारित बुडापेस्ट में चांसरी भवन परियोजना के निर्माण में विलंब; (पांच) वर्ष 2011-12 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 19 के पैरा 6.3 पर आधारित भारत सरकार के स्वामित्व की संपत्ति के निर्माण/निपटान में अत्यधिक विलंब; (छह) वर्ष 2011-12 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 17 के अध्याय 3 के पैरा 3.3.4 पर आधारित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)-अवसंरचनात्मक विकास; (सात) वर्ष 2013 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 23 के अध्याय 2.1 पर आधारित ''विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा सन्तति गुणन केंद्र की स्थापना पर निष्फल व्यय''; (आठ) वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 4 के अध्याय 3.5 पर आधारित ''भारतीय वायु सेना में हवाई क्षेत्र संभार-तंत्र रनवे की उपलब्धता; (नौ) वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 25 के अध्याय 7.2 पर आधारित ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (रा॰स्वा॰प॰क॰सं॰) अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास के निर्माण में असाधारण विलंब; (दस) वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 17 के पैरा सं॰ 5.1 पर आधारित ''भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन; और (ग्यारह) वर्ष 2014 के सीएंडएजी के प्रतिवेदन सं॰ 22 संघ सरकार (अंतरिक्ष विभाग) पर आधारित ''अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीएच सेवा की उपग्रह क्षमता का प्रबंधन।

1.6 प्रत्येक उप-समिति की संरचना **परिशिष्ट-तीन** में दी गई है।

चार. किए गए कार्य की समीक्षा

(क) समिति/उप-समितियों की बैठकें

1.7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान 35 बैठकें हुईं, (मुख्य समिति की 20 बैठकें और उप-समितियों की 15 बैठकें)। इन बैठकों की कुल अवधि 59 घंटे और 40 मिनट रही जिसमें मुख्य समिति की बैठकें 40 घंटे और 40 मिनट और उप-समितियों की बैठकें 19 घंटे तक चलीं। प्रत्येक बैठक की तिथि और अवधि, बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या और उसमें चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-चार** में दिया गया है। समिति की उन बैठकों, जिनमें प्रत्येक सदस्य ने भाग लिया, की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-पांच** में दिया गया है। इसी प्रकार, उप-समितियों की बैठकों की तिथियों और अवधि का ब्यौरा **परिशिष्ट-छह** में दिया गया है।

(ख) विनियोग लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच

1.8 लोक लेखा समिति ने लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच के दौरान, सिविल, डाक सेवाओं, रक्षा सेवाओं और रेलवे से संबंधित संघ सरकार के वर्ष 2012-13 के चार विनियोग लेखाओं की जांच करने के अलावा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट विभिन्न पैराओं से संबंधित संगत सामग्री का अध्ययन किया।

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन हेतु दौरे

1.9 लोक लेखा समिति (2014-15) ने विभिन्न सरकारी संस्थानों/संगठनों के 3 तत्स्थानिक अध्ययन दौरे किए। इस अवधि के दौरान समिति ने जिन संगठनों/स्थलों का दौरा किया, उनका ब्यौरा **परिशिष्ट-सात** में दिया गया है।

(घ) कार्यवाही और कार्यवाही सारांश

1.10 समिति की बैठकों, जिनमें साक्षी समिति के समक्ष देने के लिए उपस्थित हुए, की कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया था। समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश तैयार किए गए और संबंधित प्रतिवेदनों के साथ सभा में प्रस्तुत किए गए।

पांच. प्रतिवेदन, जिन्हें अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तुत किया गया

(क) मूल प्रतिवेदन

1.11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित 13 मूल प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया और सभा में प्रस्तुत किया:—

क्रम सं॰	प्रतिवेदन संख्या	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1	2	3	4
1.	पहला	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर मंत्रालय/विभागों द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों का समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किया जाना	25.11.2014

1	2	3	4
2.	दूसरा	आयकर विभाग में आईटी एप्लिकेशन्स	25.11.2014
3.	तीसरा	भारतीय रेल में पर्यावरण प्रबंधन–स्टेशन, रेलगाड़ी और रेल पथ	25.11.2014
4.	चौथा	कश्मीर के साथ रेल संपर्क	25.11.2014
5.	पांचवां	रेल मंत्रालय से संबंधित भारतीय रेल में सिविल इंजीनियरी कारखाने, सोन नदी के ऊपर नए रेल पुल के निर्माण में विलंब सिग्नल और दूरसंचार	25.11.2014
6.	सांतवां	शुल्क वापसी योजना	11.12.2014
7.	आठवां	भारत में जल प्रदूषण	11.12.2014
8.	चौदहवां	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना	27.4.2015 (लो॰स॰) 28.4.2015 (रा॰ स॰)
9.	पंद्रहवां	रेल वित्त	27.4.2015 (लो॰ स॰) 28.4.2015 (रा॰ स॰)
10.	सत्रहवां	विशेष प्रयोजन इकाइयों के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना	29.4.2015
11.	अठारहवां	जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	29.4.2015
12.	उन्नीसवां	स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय	29.4.2015
13.	बीसवां	चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की–गई–कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना	29.4.2015

(ख) की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

1.12 निम्नलिखित 7 की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत किए गए थे:—

क्रम सं॰	प्रतिवेदन संख्या	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1.	छठा	''बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 79वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	25.11.2014
2.	नौवां	'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2010-11) से अधिक व्यय' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 64वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	11.12.2014
3.	दसवां	'कर प्रशासन' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 87वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	11.12.2014
4.	ग्यारहवां	'भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 80वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2014
5.	बारहवां	'आयातित दालों की बिक्री और वितरण' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 82वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2014
6.	तेरहवां	'उर्वरक राजसहायता' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 81वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	18.12.2014
7.	सोलहवां	'कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्वयन' के संबंध में लोक लेखा समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 95वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई	27.04.2015 (लो॰ स॰) 28.4.2015 (रा॰ स॰)

1.13 निम्नलिखित तालिका में समिति द्वारा अपने पूर्व प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों, जिनके संबंध में की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान प्रस्तुत किए गए थे, के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही का विश्लेषण दर्शाया गया है:—

सिफारिशों की कुल संख्या	सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की कुल संख्या, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती थी	सिफारिशों की कुल संख्या, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया था और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता थी	सिफारिशों की कुल संख्या, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं
102	81 (79.41.)	2 (1.96.)	13 (12.74.)	6 (5.88.)

छह. सचिवालय

1.14 लोक लेखा समिति शाखा, समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। नोडल अधिकारी के रूप में एक निदेशक, एक अपर निदेशक, दो उप-सचिव और चार अवर सचिव शाखा के कार्यकारी अधिकारी थे और एक संयुक्त सचिव समिति सचिवालय के समग्र प्रभारी थे।

1.15 लोक लेखा समिति ने सापेक्ष महत्व के आधार पर गहन जांच के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/पैराओं का चयन किया। वर्ष 2014-15 के दौरान सचिवालय ने संघ सरकार के वर्ष 2012-13 के चार विनियोग लेखाओं की जांच की और प्रेस सूचना, वैबसाइट, संसद में प्रश्न/वाद-विवाद, विषयों से संबंधित साहित्य और प्रकाशनों जैसी अन्य संगत सामग्रियों का अध्ययन करने के अलावा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/पैराओं/ज्ञापनों का विस्तृत अध्ययन भी किया। इस प्रकार कराए गए अध्ययनों के आधार पर सचिवालय ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावलियां तैयार कीं। प्रश्नावलियों को स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें उत्तर प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, समिति के सदस्यों को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा प्रश्नसूची के रूप में पूछताछ की दिशा के संबंध में सुझाव दिए गए। सचिवालय ने बाद में साक्ष्य की शब्दश: कार्यवाही का अध्ययन किया और साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को साक्ष्योपरांत प्रश्नावलियां भेजी।

1.16 सचिवालय ने पृष्ठभूमि टिप्पणों, अग्रिम सूचना, संसदीय और समिति की कार्यवाहियों से प्राप्त सामग्री और साक्ष्योपरांत भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों तथा क्षेत्र से प्राप्त जानकारियों सहित जांचाधीन विषयों से संबंधित संपूर्ण सामग्री का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार एकत्रित सामग्री लगभग 30,000 पृष्ठ की थी। तत्पश्चात् एकत्रित सामग्री के आधार पर संबंधित प्रश्न/मुद्दे तैयार किए गए और प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करके सभापति अथवा उप-समितियों के (यदि संबंधित विषय की जांच कोई उप-समिति कर रही है तो) संयोजकों को स्वीकृति हेतु भेजे गए। सभापति की स्वीकृति के बाद सचिवालय ने प्रारूप प्रतिवेदनों को समिति द्वारा विचार करने और स्वीकार करने हेतु परिचालित किया। इन सभी प्रारूप प्रतिवेदनों का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय से और रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रतिवेदनों

का मंत्रालय से तथ्यात्मक सत्यापन भी करवाया गया। समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को स्वीकार किए जाने के पश्चात् सचिवालय ने सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें प्रस्तुत किए जाने और इनके मुद्रण व परिचालन आदि हेतु कदम उठाए।

1.17 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उसमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पण/उत्तर अपेक्षित संख्या में भेजने के अनुरोध के साथ उसकी प्रतियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया। की-गई-कार्यवाही टिप्पण/उत्तर प्राप्त होने पर सचिवालय ने उन पर कार्यवाही की और विहित पद्धति के अनुसार उत्तरों को वर्गीकृत करके की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार किए। तत्पश्चात् प्रारूप की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु सभापति को प्रस्तुत किए गए। सभापति की स्वीकृति और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के पश्चात् इन प्रतिवेदनों को समिति द्वारा विचार करने और स्वीकार करने के लिए सदस्यों को भेजा गया। इस प्रकार स्वीकृत की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत किया गया और उनमें अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अंतिम की-गई-कार्यवाही टिप्पण/उत्तर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया।

1.18 सचिवालय ने अनुवर्ती कार्यवाही की और समिति द्वारा विस्तृत जांच हेतु नहीं चुने गए सभी लेखापरीक्षा पैराओं पर मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उपचारात्मक/सुधारात्मक की-गई-कार्यवाही टिप्पणों पर कार्यवाही भी प्रारंभ की।

1.19 इसके अतिरिक्त, प्रश्न शाखा से प्राप्त संसदीय प्रश्नों और सूचना प्रकोष्ठ/समिति समन्वय शाखा से प्राप्त आरटीआई आवेदनों की जांच/संवीक्षा की गई। लोक लेखा समिति के सभापति को संबोधित/पृष्ठांकित अनेक अभ्यावेदनों पर भी सचिवालय द्वारा कार्यवाही की गई।

1.20 इस प्रकार, सचिवालय ने समिति से संबंधित अन्य कार्यों का निष्पादन करने के साथ-साथ समस्त संगत सामग्री का अध्ययन किया, प्रश्नावली/प्रश्नसूची तैयार की, प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार किया और उनके प्रस्तुतीकरण, मुद्रण और परिचालन आदि का कार्य भी किया।

अध्याय दो

प्राक्कलन समिति

एक. निर्वाचन और संरचना

2.1 वर्ष 2014-15 हेतु प्राक्कलन समिति (सोलहवीं लोक सभा) का गठन दिनांक 14 अगस्त, 2014 को किया गया था। समिति का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त हुआ।

2.2 लोक सभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनी समिति को 14 अगस्त, 2014 को निर्वाचित घोषित किया गया। समिति के सदस्य डा. मुरली मनोहर जोशी को 14 अगस्त, 2014 को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। समिति की संरचना **परिशिष्ट-आठ** में दी गई है।

दो. जांच हेतु चयनित विषय

2.3 प्राक्कलन समिति ने वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु निम्नलिखित विषयों का चयन किया:—

1. भू-जल में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा का पाया जाना (जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय)
2. [1] ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)
3. गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र—एक सिंहावलोकन (वित्त मंत्रालय)
4. जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (कृषि मंत्रालय)
5. परमाणु संयंत्रों हेतु यूरेनियम का आयात (परमाणु ऊर्जा विभाग)
6. गंगा जीर्णोद्धार (जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय)
7. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया (नागर विमानन मंत्रालय)
8. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त मंत्रालय)
9. उर्वरकों को राजसहायता (रसायन और उर्वरक मंत्रालय)
10. कृषि बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन (कृषि मंत्रालय)
11. खनन संबंधी कार्यकलाप और पर्यावरण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
12. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना हेतु योजना के विशेष संदर्भ में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (गृह मंत्रालय)
13. पक्षी अभ्यारण्यों का प्रबंधन (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

---

[1]यह विषय निम्नलिखित दो विषयों में विभाजित कर दिया गया था (एक) ग्रामीण पेयजलों का मूल्यांकन, और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा (पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय)

14. सस्ते आवास (आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)
15. पीएनजी नेटवर्क (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)
16. भारतीय चिकित्सा परिषद (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
17. ई–अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हैंडलिंग (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
18. वर्षा जल संचयन (जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय)
19. सशस्त्र बलों की तैयारी–रक्षा प्रापण (रक्षा मंत्रालय)
20. आपदा प्रबंधन (गृह मंत्रालय)
21. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (विद्युत मंत्रालय)
22. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)
23. पंचायती राज (पंचायती राज मंत्रालय)
24. ग्रामीण सड़क योजना (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
25. शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
26. अल्पसंख्यक मामले (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)
27. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय)
28. प्रधानमंत्री नहर योजना (जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय)
29. एक्स–सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूट्री हैल्थ स्कीम (रक्षा मंत्रालय)
30. जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यनिष्पादन (एनएपीसीसी) (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
31. घरेलू कोयले की कमी और ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया (कोयला मंत्रालय)
32. बीमा विनामक विकास प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय)
33. स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण–ट्राई (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
34. प्रवर्तन निदेशालय और काले धन की वसूली (वित्त मंत्रालय)
35. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
36. किसानों की आत्महत्या (कृषि मंत्रालय)
37. राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
38. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान (रक्षा मंत्रालय)

तीन. किए गए कार्य की समीक्षा

(क) समिति की बैठकें

2.4 कार्यकाल के दौरान प्राक्कलन समिति की 22 बैठकें हुईं जो लगभग 46 घंटे और 40 मिनटों तक चली। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित प्राक्कलन समिति की बैठकों की तिथियों, बैठकों की अवधि, उपस्थित सदस्यों की संख्या और चर्चा किए गए विषयों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–नौ** में दिया गया है।

2.5 प्रत्येक सदस्य ने समिति की जितनी बैठकों में भाग लिया उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट–दस** में दिया गया है।

(ख) समिति को प्रस्तुत सामग्री

2.6 मंत्रालयों/विभागों द्वारा जांचाधीन विषयों के संबंध में समिति को प्रस्तुत सामग्री का ब्यौरा निम्नवत् है:—

क्रम सं॰	विषय	मंत्रालय	टंकित/मुद्रित पृष्ठों की संख्या
1	2	3	4
1.	भू–जल में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा का पाया जाना	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय	2960
2.	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2890
3.	गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र–एक सिंहावलोकन	वित्त मंत्रालय	2900
4.	जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	कृषि मंत्रालय	1020
5.	परमाणु संयंत्रों हेतु यूरेनियम का आयात	परमाणु ऊर्जा विभाग	1025
6.	गंगा जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय	20

1	2	3	4
7.	ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया	नागर विमानन मंत्रालय	12
8.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)	वित्त मंत्रालय	–
9.	उर्वरकों को राजसहायता	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	10
10.	कृषि बीमा योजनाओं का कार्यान्वयन	कृषि मंत्रालय	15
11.	खनन संबंधी कार्यकलाप और पर्यावरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/ खान मंत्रालय	–
12.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना हेतु योजना के विशेष संदर्भ में राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	गृह मंत्रालय	64
13.	पक्षी अभ्यारण्यों का प्रबंधन	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	–
14.	सस्ते आवास	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	20
15.	पीएनजी नेटवर्क	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	9
16.	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	–
17.	ई–अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हैंडलिंग	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	4

1	2	3	4
18.	वर्षा जल संचयन	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय	7
19.	सशस्त्र बलों की तैयारी–रक्षा प्रापण	रक्षा मंत्रालय	–
20.	आपदा प्रबंधन	गृह मंत्रालय	12
21.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	विद्युत मंत्रालय	18
22.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	19
23.	पंचायती राज	पंचायती राज मंत्रालय	24
24.	ग्रामीण सड़क योजना	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	5
25.	शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	30
26.	अल्पसंख्यक मामले	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	5
27.	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	गृह मंत्रालय	–
28.	प्रधान मंत्री नहर योजना	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	–
29.	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	रक्षा मंत्रालय	20
30.	जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसी) का निष्पादन	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	5
31.	घरेलू कोयले की कमी और ब्लाकों की बोली प्रक्रिया	कोयला मंत्रालय	14
32.	बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण	वित्त मंत्रालय	10

1	2	3	4
33.	स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण–ट्राई	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	10
34.	प्रवर्तन निदेशालय और काले धन की वसूली	वित्त मंत्रालय	–
35.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	11
36.	किसानों की आत्महत्या	कृषि मंत्रालय	9
37.	राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	20
38.	स्वतंत्रता सैनिक सम्मान	रक्षा मंत्रालय	–

(9 विषयों पर पृष्ठाधार सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी)

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन दौरे

2.7 वर्ष 2014–15 के दौरान कोई अध्ययन दौरा नहीं किया गया।

(घ) कार्यवाही

2.8 प्राक्कलन समिति की बैठकों जिनमें साक्षियों का साक्ष्य लिया गया, का सचिवालय में शब्दशः रिकार्ड रखा गया। प्रतिवेदनों से संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश तैयार करके प्रतिवेदन के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किये गये। वर्ष 2014–15 के दौरान जांच हेतु चयन किए गए विषयों के लिए हुई बैठकों के अलावा, प्राक्कलन समिति ने 10 बैठकें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य, 8 बैठकें विशेषज्ञों/गैर–सरकारी साक्षियों की बात सुनने तथा 3 बैठकें समिति के प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार और स्वीकार करने के लिए कीं।

चार. प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन

(ङ) मूल प्रतिवेदन

2.9 वर्ष 2014-15 के दौरान प्राक्कलन समिति में निम्नलिखित मूल प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन संख्या	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1.	1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित "भू-जल में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा का पाया जाना"	11.12.2014
2.	2	पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों का मूल्यांकन"	28.04.2015
3.	5	वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित "गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र—एक सिंहावलोकन"	29.04.2015
4.	8	पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित "ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा"	29.04.2015

(च) की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

2.10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सभा में निम्नलिखित की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए:—

क्रम सं०	प्रतिवेदन संख्या	विषय	प्रस्तुत किए जाने की तिथि
1.	3	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम" विषय पर प्राक्कलन समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	28.04.2015
2.	4	ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)" विषय पर प्राक्कलन समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	28.04.2015
3.	6	सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएफएआई)" विषय पर प्राक्कलन समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	29.04.2015
4.	7	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'प्रोजेक्ट एरो का कार्य-निष्पादन' विषय पर प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	29.04.2015

पांच. सचिवालय

2.11 प्राक्कलन समिति शाखा समिति का सचिवालय है। शाखा के संपूर्ण प्रभारी के रूप में संयुक्त सचिव के अतिरिक्त एक निदेशक, एक अपर निदेशक और दो उप-सचिव शाखा के प्रभारी रहे।

2.12 2014-15 के दौरान, मंत्रालयों/विभागों/विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया गया, बिन्दु चुने गए और समिति के उपयोग के लिए प्रश्न तैयार किए गए।

2.13 सचिवालय द्वारा प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार करने, उन पर विचारण और स्वीकार करने, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, उनके मुद्रण, वितरण और परिचालन से संबंधित कार्य के साथ-साथ प्रतिवेदनों से संबंधित कार्यवाही सारांश तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। सचिवालय ने पूर्व प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्रवाई उत्तरों की जांच और इन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य भी किया। सचिवालय ने प्राक्कलन समिति के विचारण हेतु ज्ञापन तैयार करने और पूर्व में किए गए अध्ययन दौरों के दौरान, मेज़बान संगठनों से प्राप्त दौरे के बिलों के निपटान से संबंधित कार्य भी किया।

2.14 सचिवालय ने जांचाधीन विषयों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों, संसदीय वाद-विवाद, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, बजट प्राक्कलनों, पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों आदि का अध्ययन भी किया।

अध्याय तीन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

एक. निर्वाचन और संरचना

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 14 अगस्त, 2014 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष 2014–15 के कार्यकाल के लिए किया गया, देखिए दिनांक 14 अगस्त, 2014 का लोक सभा समाचार भाग–दो, पैरा सं॰ 529।

3.1 अध्यक्ष महोदया ने समिति के सदस्य श्री शांता कुमार को समिति का सभापति के रूप में नियुक्त किया।

3.2 समिति की संरचना **परिशिष्ट–ग्यारह** पर दी गई है।

दो. जांच हेतु चयनित विषय

3.3 समिति ने 9 सितंबर, 2014 को हुई अपनी बैठक में 2014–2015 के दौरान जांच हेतु निम्नलिखित/उपक्रमों/विषयों का चयन किया:—

(क) व्यापक जांच हेतु विषय

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड

(दो) 'बीएचईएल में विद्युत उपकरण विनिर्माण क्षमता का विस्तार और उपयोग' विषय संबंधी वर्ष 2013 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं॰ 26 (कार्य–निष्पादन लेखापरीक्षा) सहित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(तीन) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड

(चार) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

(पांच) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

(छह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सात) आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड

(आठ) एमएमडीसी लिमिटेड

(नौ) केन्द्रीय भाण्डारगार निगम लिमिटेड

(दस) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

(ग्यारह) भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड

(बारह) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

(तेरह) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड

(ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा पैराओं पर आधारित विषय

(चौदह) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन तथा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड प्रबंधन संबंधी वर्ष 2014 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 18 (कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा),

(ग) समस्तरीय अध्ययन हेतु विषय

(पन्द्रह) तेल विपणन करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद

(सोलह) चुनिन्दा सीपीएसयू में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

[सीपीएसई (अनुपालन लेखा-परीक्षा) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों पर वर्ष 2011-12 की नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन सं॰ 2 में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर अध्याय-छह में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सहित]

(सत्रह) चुनिंदा सीपीएसयू में उत्तराधिकार योजना

तीन. किए गए कार्य की समीक्षा

(क) समिति की बैठकें

3.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 14 बैठकें हुईं, जो 17 घंटे तथा 25 मिनट तक चलीं।

3.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की हुई बैठक की तिथियों, बैठकों की समयावधि, उपस्थित सदस्यों की संख्या तथा चर्चा किए गए विषयों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-बारह** में दिया गया है। समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-तेरह** में दिया गया है।

(ख) मंत्रालयों/उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत सामग्री

3.6 मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत सामग्री और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जांच हेतु चयनित विषयों से संगत प्रस्तुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) और ज्ञापन 9780 पृष्ठों के हैं।

(ग) तत्स्थानिक अध्ययन दौरे

3.7 समिति ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की जांच हेतु एक अध्ययन दौरा किया। वर्ष 2014-15 के दौरान अध्ययन दौरा करने वाली समिति, स्थान जिनके दौरे किए गए, दौरे की तिथियों और अनौपचारिक चर्चाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-चौदह** में दिया गया है।

(घ) कार्यवाहियां

3.8 समिति की जिन बैठकों में साक्ष्य लिया गया था उनकी कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया था।

चार. प्रतिवेदन जिन्हें अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तुत किया गया

(क) मूल प्रतिवेदन

3.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, समिति ने निम्नलिखित मूल प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया और प्रस्तुत किया गया:—

क्र॰सं॰	प्रतिवेदन	विषय	प्रस्तुत करने की तिथि
1.	4	कोल इंडिया लिमिटेड	28.04.2015
2.	6	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	28.04.2015

(ख) की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

3.10 समिति ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान मूल प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को भी अंतिम रूप दिया और प्रस्तुत किया:—

क्रम सं॰	प्रतिवेदन	विषय	प्रस्तुतीकरण की दिनांक
1	2	3	4
1.	1	भारतीय खाद्य निगम में भंडारण प्रबंधन तथा खाद्यान्नों के संचलन के संबंध में सीएंडएजी की वर्ष 2013 की रिपोर्ट सं॰ 7 (निष्पादन लेखापरीक्षा) पर आंशिक रूप से आधारित भारतीय खाद्य निगम से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	19.12.2014
2.	2	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन सं॰ 9 के लेखापरीक्षा पैरा सं॰ 13.5.1 पर आधारित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा कच्चे तेल की कीमत पर संघनित पदार्थ की खरीद पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	19.03.2015
3.	3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	28.04.2015

1	2	3	4
4.	5	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 3 के लेखापरीक्षा पैरा सं॰ 2.5 पर आधारित मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (पी) लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की ओर से विश्वासजन्य क्षमता में इसको खाते से अनधिकृत निकासी के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (पन्द्रहवीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	28.04.2015

3.11 निम्नलिखित सारणी पूर्व प्रतिवेदनों में समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण इंगित करती है जिनके संबंध में वर्ष 2014-2015, के दौरान की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए थे:—

कुल सिफारिशों की संख्या	कुल सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	कुल सिफारिशें, जिन पर सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति कार्रवाई करना नहीं चाहती है	कुल सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया गया	कुल सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए
59	38	02	13	06

पांच. सचिवालय

3.12 सरकारी उपक्रम शाखा समिति का सचिवालय है। प्रासंगिक अवधि के दौरान, इसमें एक निदेशक, एक अपर निदेशक और एक उप सचिव थे; समिति सचिवालय के समग्र प्रभारी एक संयुक्त सचिव रहे।

3.13 संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/उपक्रमों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया गया। संबंधित मंत्रालयों और उपक्रमों की जांच के संबंध में समिति द्वारा विचार करने के लिए विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी पता करने के लिए ज्ञापन व प्रश्नावलियां/प्रश्न-सूची तैयार की गईं। इसके अतिरिक्त, सचिवालय को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित समस्याओं के संबंध में व्यक्तियों/संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इनकी संवीक्षा की गई और उन सभी पर समुचित कार्रवाई की गई। सचिवालय ने संसदीय वाद-विवाद, विभिन्न प्रतिवेदनों, पुस्तकों, समाचार-पत्रों, इन्टरनेट पर सामग्री आदि जैसी प्रकाशित सामग्री का अध्ययन भी किया जो जांच हेतु लिए गए विषयों से संबद्ध थे। सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय उपक्रमों से संबंधित संसदीय प्रश्नों की संवीक्षा भी की गई। सूचना प्रकोष्ठ/समिति समन्वय शाखा से प्राप्त मामलों से संबंधित आरटीआई को भी देखा गया। सचिवालय द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए मेजबान संगठनों द्वारा प्रस्तुत अध्ययन दौरे से संबंधित व्यय बिलों पर भी कार्रवाई की गई।

परिशिष्ट एक

(देखिए पैरा 1.2)

लोक लेखा समिति (2014–15) की संरचना

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा
5. श्री निशिकान्त दुबे
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
9. श्री नेफिउ रिओ

*10. श्री दुष्यंत सिंह

11. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

**12. श्री शिवकुमार उदासि

13. डॉ॰ किरीट सोमैया
14. श्री अनुराग ठाकुर

***15. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल

राज्य सभा

16. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
17. श्री विजय गोयल
18. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया
19. श्री भुवनेश्वर कालिता
20. श्री शान्ताराम नायक
21. श्री सुखेन्दु शेखर राय
22. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह

---

* श्री राजीव प्रताप रूडी के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

** श्री जयंत सिन्हा के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

*** डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई को माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा चुने जाने तथा तत्पश्चात्, उनके द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

परिशिष्ट दो

(देखिए पैरा 1.4)

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु चयनित विषय

श्रेणी एक

उन विषयों की सूची जिनके प्रारूप प्रतिवेदन तत्कालीन सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा स्वीकृत किए गए थे और जिनको अंतिम रूप दिया जाना है

क्रम सं॰	प्रतिवेदन संख्या	अध्याय संख्या/ मंत्रालय/विभाग पैरा संख्या	विषय	
1.			भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की-गई-कार्यवाही टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत न किया जाना	विभिन्न मंत्रालय
2.	2012-13 का 23	संपूर्ण प्रतिवेदन	आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	वित्त (राजस्व विभाग)
3.	2012-13 का 21	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल में पर्यावरण प्रबंधन-स्टेशन, रेलगाड़ियां और पटरियां	रेल
4.	2012-13 का 19	संपूर्ण प्रतिवेदन	कश्मीर तक रेल संपर्क	रेल
5.	2012-13 का 17	पैरा 2.1	रक्षा आफसेट्स का प्रबंधन	रक्षा
6.	2012-13 का 6	संपूर्ण प्रतिवेदन	विशेष प्रयोजन व्हीकल के अंतर्गत अतिबृहद विद्युत परियोजनाएं	विद्युत
7.	2011-12 का 32	पैरा 3.2	भारतीय रेल में सिविल इंजीनियरी कार्यशालाएं	रेल
		पैरा 3.4	सोन नदी के ऊपर नए रेल पुल के निर्माण में विलंब	
		अध्याय पांच	सिग्नल और दूरसंचार	
8.	2011-12 का 21	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारत में जल प्रदूषण	पर्यावरण और वन
9.	2011-12 का 15	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	शुल्क फिरती योजना	वित्त (राजस्व विभाग)

श्रेणी दो

उन विषयों के बारे में विवरण जिन पर संक्षिप्त चर्चा/साक्ष्य हुए हैं किंतु अब तक प्रतिवेदन के प्रारूप तैयार/प्रस्तुत नहीं किए गए हैं

क्रम सं०	प्रतिवेदन संख्या	अध्याय संख्या/पैरा संख्या	विषय	मंत्रालय/विभाग
1.	2011-12 का 19	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	हाइड्रोकार्बन उत्पादन साझा संविदाओं का कार्यनिष्पादन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
2.	2012-13 का 7	संपूर्ण प्रतिवेदन	कोयला खंडों का आवंटन और कोयला उत्पादन में वृद्धि	कोयला
3.	2013 का 12	संपूर्ण प्रतिवेदन	रेल वित्त	रेल
4.	2010-11 का 32	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय नौसेना युद्धपोतों का स्वदेशी निर्माण	रक्षा
5.	2013 का 6	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	ग्रामीण विकास
6.	2013 का 5	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारत में आपदा से निपटने की तैयारी	गृह
7.	2011-12 का 7	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय तटरक्षक की भूमिका और कार्यकरण	रक्षा
8.	2012-13 का 15	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन
9.	2012-13 का 22	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना	महिला और बाल विकास
10.	2009-10 का 3	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	प्रमुख पत्तन न्यासों का कार्यकरण	पोत परिवहन
11.	2013 का 18	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा	संस्कृति

श्रेणी तीन

समिति द्वारा चयनित नए विषय

क्रम सं॰	प्रतिवेदन संख्या	अध्याय संख्या/पैरा संख्या	विषय	मंत्रालय/विभाग
1	2	3	4	5
1.	2013 का 19	पैरा 6.3	सीजीएचएस में एलोपैथिक औषधियों की अधिप्राप्ति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
2.	2013 का 20	संपूर्ण प्रतिवेदन	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को निष्पादन लेखापरीक्षा से छूट	वित्त
3.	2013 का 24	संपूर्ण प्रतिवेदन	आर्डिनेंस इक्यूपमेंट ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज के निष्पादन लेखा-परीक्षा का अनुपालन	रक्षा
4.	2013 का 25	संपूर्ण प्रतिवेदन	संघ सरकार (रेल)- अनुपालन लेखापरीक्षा (खण्ड-III)	रेल
5.	2013 का 27	संपूर्ण प्रतिवेदन	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की निष्पादन लेखापरीक्षा	विद्युत
6.	2013 का 28	संपूर्ण प्रतिवेदन	शास्ति और अभियोजन प्रशासन की निष्पादन लेखापरीक्षा	वित्त
7.	2013 का 30	पैरा 2.1	रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन	रक्षा
		पैरा 2.3	टैंकों में एयरकंडीशनरों की शुरुआत न किया जाना	
		पैरा 2.5	प्रभावी नियंत्रणों का अभाव जिसके फलस्वरूप बकाया देय राशि की वसूली नहीं हो पाई	
		पैरा 3.5	भवनों में अप्राधिकृत सुदृढ़ीकरण उपायों की व्यवस्था के कारण अतिरिक्त व्यय	
		पैरा 5.1	अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय	
		पैरा 6.3	मुद्रा दर में परिवर्तन की अनुमति देकर एक विदेशी आपूर्तिकार को अनुचित लाभ	

1	2	3	4	5
		पैरा 6.4	निविदा जांच और संविदा में शर्तों का न्यूनीकरण करते हुए एक विदेशी आपूर्तिकार को अनुचित लाभ	
8.	2013 का 31	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय नौसेना पोतों के रेफिट्स की आयोजना और प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	रक्षा
9.	2013 का 32	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निष्पादन लेखापरीक्षा	श्रम और रोजगार
10.	2014 का 1	पैरा 3.4	अतिरिक्त संवितरणों के साथ अनुदान/विनियोग	वित्त
		पैरा 3.5	अनुदानों में निरन्तर अतिरेक	
		पैरा 4.5.5	प्रयोजन शीर्ष 'मुख्य कार्य' और 'मशीनें और उपस्कर' के प्रावधान का संवर्धन	
		पैरा 4.6.1 से 4.6.4	व्यय का गलत वर्गीकरण	
11.	2014 का 3	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना	रेल
12.	2014 का 5	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थायी-करण निधि (एसएएसएफ)	वित्त (वित्तीय सेवाएं विभाग)
13.	2014 का 6	पैरा 1.17	सेवा कर विवरणियों की प्रारंभिक समीक्षा	वित्त (राजस्व विभाग)
		पैरा 3.6 (3.6.1और 3.6.2 सहित)	सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली उपबंधों की अपर्याप्तता	
		पैरा 3.9.2	आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा के समयपूर्व समाप्त किए जाने के कारण सेवा कर की वसूली न होना	

1	2	3	4	5
14.	2014 का 7	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	फर्मों के आकलन की निष्पादन लेखापरीक्षा	वित्त (राजस्व विभाग)
15.	2014 का 8	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)-अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व विभाग	वित्त (राजस्व विभाग)
16.	2014 का 11	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5) की निष्पादन लेखापरीक्षा	वित्त (राजस्व विभाग)
17.	2014 का 12	अध्याय-छह	स्वापक पदार्थों का प्रबंधन	वित्त
		अध्याय सात (क)	जब्त और अधिहरण किए गए माल का निपटान	(राजस्व विभाग)
		अध्याय-सात (ग)	सरकारी और निजी बद्ध भाण्डागारन	
18.	2014 का 15	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई पर सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना का क्रियान्वयन	नागर विमानन
19.	2014 का 14	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण तंत्र	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
20.	2014 का 16	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा	विदेश मंत्रालय
21.	2014 का 17	पैरा 2.1	दूरसंचार सेवा सम्भारकों द्वारा अभिदाता सत्यापन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
		पैरा 2.2	साझा मोबाइल अवसंरचना योजना	
		पैरा 2.3	रिलायंस ग्रुप कंपनियों द्वारा यूएसओएफ/यूएएस लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन	

1	2	3	4	5
अतिरिक्त विषय				
22.	2011–12 का 32	पैरा 3.1	भारतीय रेलवे में बेशी रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग	रेलवे
23.	2013 का 11	अध्याय–एक	भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रचार	रेलवे
24.	2013 का 25	पैरा 3.1	भारतीय रेलवे में स्थायी रेल पथ सामग्री की खरीद और उपयोगिता	रेलवे
25.	2013 का 25	पैरा 3.2	भूमि की खरीद के लिए अविवेकपूर्ण निर्णय	रेलवे
26.	–	–	रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण	रेलवे
27.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 19 संघ सरकार (रेल) रेल वित्त	अध्याय 3	भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन	रेल मंत्रालय
28.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 20 'मूल्य ह्रास और परिशोधन की अनुमेयता' निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संघ सरकार (प्रत्यक्ष कर)	पैरा 2.2	मूल्य ह्रास की दरों का संगतीकरण	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
29.		पैरा 2.4	धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों तथा व्यक्तियों के संघ के स्वामित्व की परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास की अनुमति में असंगतियां	–तदैव–
30.		पैरा 3.6	लागत से घटाई न गई पूंजी निवेश आर्थिक सहायताएं	–तदैव–
31.		पैरा 3.19	अतिरिक्त मूल्य ह्रास की मंजूरी में चूक	

1	2	3	4	5
32.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 21 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का निष्पादन संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमा-शुल्क)	संपूर्ण प्रतिवेदन	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का निष्पादन	-तदैव-
33.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 22 अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीएच सेवा हेतु उपग्रह क्षमता का प्रबंधन संघ सरकार	संपूर्ण प्रतिवेदन	डीटीएच सेवा हेतु उपग्रह क्षमता का प्रबंधन	अंतरिक्ष विभाग
34.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 24 हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध, संघ सरकार	संपूर्ण प्रतिवेदन	हाईड्रोकार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
35.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 25 संघ सरकार (सिविल) अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	संपूर्ण प्रतिवेदन	सिविल मंत्रालयों/विभागों और उनके स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा	विभिन्न सिविल मंत्रालय/विभाग
36.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 26 संघ सरकार (रेल) अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पैरा 2.1	भारतीय रेल में तुला सेतुओं का निष्पादन	रेल मंत्रालय

1	2	3	4	5
37.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 27 (वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालय) संघ सरकार	सम्पूर्ण प्रतिवेदन	संघ सरकार वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालयों/विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा	विभिन्न वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग
38.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 29 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अभियोजन तथा शास्तियों का प्रशासन, संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर)	संपूर्ण प्रतिवेदन	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में अभियोजन तथा शास्तियों का प्रशासन	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
39.	वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं॰ 30 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की निष्पादन लेखापरीक्षा, संघ सरकार (सिविल) स्वायत्त निकाय	संपूर्ण प्रतिवेदन	कर्मकारी राज्य बीमा निगम	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
40.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 31 भारतीय रेल में मालगाड़ियों के प्रबंधन के संबंध में निष्पादन लेखा–परीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन	भारतीय रेल में मालगाड़ियों का प्रबंधन	रेल मंत्रालय

1	2	3	4	5
41.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 32 निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार (सनदी लेखाकार) की रिपोर्टिंग का मूल्यांकन-निष्पादन लेखा परीक्षा (संघ सरकार प्रत्यक्ष कर)	पैरा 2.3	मूल्य ह्रास और परिशोधन की अनुमति	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
42.		पैरा 2.4	अग्रानीत हानि/मूल्य ह्रास की अनुमति	-तदैव-
43.		पैरा 2.5	व्यक्तिगत/पूंजीगत व्यय की अनुमति	-तदैव-
44.		पैरा 2.7	दावों का गलत प्रमाणीकरण	-तदैव-
45.		पैरा 2.8	कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/प्रमाणपत्र में गलती/अधूरी सूचना	-तदैव-
46.		पैरा 3.6	कर लेखापरीक्षा कार्यों की संख्या पर नियंत्रण	-तदैव-
47.		पैरा 3.9	कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अपर्याप्त/ गलत सूचना देने पर कार्यवाही नहीं करना	-तदैव-
48.	वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं॰ 33 ऑटोमोटिव क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन, संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)	पैरा 3.1 उप-पैरा 3.1.1	अंत: संबंधित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता	-तदैव-
49.		पैरा 5.2	कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलंब के परिणामस्वरूप राजस्व हानि	-तदैव-
50.	वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं॰ 34 वायु सेना एवं नौसेना, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)	पैरा 2.1	प्रशिक्षक वायुयान की अधिप्राप्ति	रक्षा मंत्रालय

1	2	3	4	5
51.		पैरा 2.3	हवाई लड़ाकू चालन यंत्र विन्यास प्रणाली की अधिप्राप्ति	-तदैव-
52.		पैरा 2.4	टारपीडो की अधिप्राप्ति में निष्फल निवेश	-तदैव-
53.		पैरा 3.8	भारतीय वायुसेना में हवाई क्षेत्र सुरक्षा की लेखापरीक्षा	-तदैव-
54.	वर्ष 2014 का प्रतिवेदन सं॰ 35 संघ सरकार, (रक्षा सेवाएं) थल सेना, आयुध फैक्ट्रियां और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	पैरा 2.1	टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब	-तदैव-
55.		पैरा 2.2	27.32 करोड़ रुपए मूल्य के अस्वीकार्य उपकरण की अधिप्राप्ति	-तदैव-
56.		पैरा 3.4	दौषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति	-तदैव-
57.		पैरा 8.2	आयुध फैक्ट्रियों में भंडार सूची प्रबंधन	-तदैव-
58.		पैरा 8.3	एमबीटी अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंकों का स्वदेशी उत्पादन	-तदैव-
59.		पैरा 8.6	अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	-तदैव-
60.		पैरा 8.7	थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति	-तदैव-
61.	2014 का प्रतिवेदन सं॰ 37 'इंदिरा आवास योजना' की निष्पादन लेखापरीक्षा, संघ सरकार, (सिविल) निष्पादन लेखापरीक्षा	संपूर्ण प्रतिवेदन	इंदिरा आवास योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय

परिशिष्ट तीन

(देखिए पैरा 1.6)

लोक लेखा समिति (2014-15) की उप-समितियों की संरचना

उप-समिति I (रक्षा)

संयोजक	:	1. श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री भुवनेश्वर कालिता
सदस्य	:	3. श्री नेफिउ रिओ
		4. श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा
		5. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल*

उप-समिति II (रेल)

संयोजक	:	1. श्री विजय गोयल
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
सदस्य	:	3. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
		4. श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल
		5. डॉ॰ सत्यनारायण जटिया

उप-समिति III (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)

संयोजक	:	1. श्री शांताराम नाईक
वैकल्पिक संयोजक	:	2. डॉ॰ किरीट सोमैया
सदस्य	:	3. श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
		4. श्री अनुराग ठाकुर
		5. श्री सुखेन्दु शेखर राय

*श्री राजीव प्रताप रूडी के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 14 जनवरी, 2015 से निर्वाचित।

उप-समिति IV [गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणों का मंत्रालय/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुतीकरण का अनुपालन न किया जाना]

संयोजक	:	1. श्री भर्तृहरि महताब
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री निशिकांत दुबे
सदस्य	:	3. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह
		4. श्री गजानन कीर्तिकर
		5. श्री शिव कुमार उदासि**

उप-समिति V (रेलवे के अतिरिक्त अवसंरचनात्मक परियोजनाएं)

संयोजक	:	1. श्री सुखेन्दु शेखर राय
वैकल्पिक संयोजक	:	2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
सदस्य	:	3. श्री गजानन कीर्तिकर
		4. श्री दुष्यंत सिंह
		5. श्री अनुराग ठाकुर

**श्री जयंत सिन्हा के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 14 जनवरी, 2015 से निर्वाचित।

परिशिष्ट चार

(देखिए पैरा 1.7)

लोक लेखा समिति (2014-15) (मुख्य समिति) की बैठकों की तिथियां और अवधि दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	जिन विषयों पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटे	मिनट		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	04.9.2014	1100	1300	02	00	17	(एक) लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा उद्घाटन भाषण; (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जानकारी देना; और (तीन) वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन संबंधी ज्ञापन सं॰ 1 पर विचार करना।
2.	22.9.2014	1200	1320	01	20	13	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 1 के क्रमश: पैरा सं॰ 3.4 और 3.5 पर आधारित ''आधिक्य भुगतान के साथ अनुदान/विनियोग'' और ''अनुदानों में निरंतर आधिक्य'' विषय पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक/लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा जानकारी।
3.	22.9.2014	1400	1530	01	30	12	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 12 पर आधारित ''रेल वित्त'' विषय पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	08.10.2014	1200	1345	01	45	14	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 19 पर अधारित ''हाइड्रो-कार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध का निष्पादन'' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
5.	08.10.2014	1430	1540	01	10	07	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं॰ 15, संघ सरकार (निष्पादन लेखापरीक्षा) पर आधारित ''जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' विषय के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
6.	08.10.2014	1545	1645	01	00	07	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं॰ 22, संघ सरकार (निष्पादन लेखापरीक्षा) पर आधारित ''समन्वित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना'' विषय के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य। निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार और उन्हें स्वीकार करना: (एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के

							प्रतिवेदन सं॰ 23 पर आधारित ''आयकर विभाग में आईटी एप्लिकेशंस''। (तीन) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं॰ 21 पर आधारित ''भारतीय रेल में पर्यावरण प्रबंधन-स्टेशन, रेलगाड़ी और रेलपथ'' और (चार) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं॰ 19 पर आधारित ''कश्मीर के साथ रेल संपर्क''।
7.	19.11.2014	1100	1430	03	30	13	(एक) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 32 पर आधारित ''भारतीय रेल में सिविल इंजीनियरी कार्यशालाएं'', 'सोन नदी पर नए रेल पुल के निर्माण में विलंब'', और ''सिग्नल और दूरसंचार'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ख) ''बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर'' संबंधी 79वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन। (दो) लोक लेखा समिति (2014-15) द्वारा विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित विषयों का आगे चयन: (एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 32 के पैरा संख्या 3.1 पर आधारित ''बेशी रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग''। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 11 अध्याय 1 पर आधारित 'भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक प्रचार''

1	2	3	4	5	6	7	8
							(तीन) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा सं॰ 3.1 पर आधारित ''भारतीय रेलवे में स्थायी रेलपथ सामग्री की खरीद और उपयोग''। (चार) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा संख्या 3.2 पर आधारित ''भूमि की खरीद के लिए अविवेकपूर्ण निर्णय''। (पांच) ''रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण''। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 19 पर आधारित ''हाइड्रो-कार्बन उत्पादन सहभागिता अनुबंध का निष्पादन'' विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
8.	19.11.2014	1430	1530	01	00	13	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 11 पर आधारित ''भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5) ''विषय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
9.	25.11.2014	1500	1730	02	30	09	(एक) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 15 पर आधारित ''ड्यूटी ड्राबैक स्कीम'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ख) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन

							सं॰ 21 पर आधारित ''भारत में जल-प्रदूषण'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन, (ग) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन सं॰ 6 पर आधारित ''विशेष प्रयोजन इकाइयों के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 20 पर आधारित ''धमार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट ''विषय पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
10.	02.12.2014	1500	1710	02	10	07	(एक) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) ''स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2010-11) से अधिक व्यय'' संबंधी 64वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन, और (ख) ''कर प्रशासन'' संबंधी 87वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 7 पर आधारित ''भारतीय तटरक्षक की भूमिका एवं प्रकार्य'' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	09.12.2014	1500	1730	02	30	09	(एक) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) ''भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली'' विषयक समिति के 80वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन, (ख) ''आयातित दालों की बिक्री और वितरण'' विषयक समिति के 82वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन। (दो) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 5 पर आधारित ''भारत में आपदा तैयारी'' विषय पर गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
12.	16.12.2014	1500	1700	02	00	13	(एक) ''उर्वरक राजसहायता'' संबंधी समिति के 81वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकार करना। (दो) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 1 के पैरा 3.4 और 3.5 पर आधारित ''स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2012-13) से अधिक व्यय'' विषय के संबंध में वित्त (आर्थिक कार्य और व्यय विभाग), रक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (डाक विभाग) और रेल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

13.	05.01.2015	1130	1330	02	00	10	(एक) वर्ष 2014-15 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु अतिरिक्त विषयों का चयन। (दो) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 16 पर आधारित ''विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा'' विषय पर लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी प्रदान करना। (तीन) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 16 पर आधारित ''विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा'' विषय पर विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
14.	12.01.2015	1500	1715	02	15	13	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 19 के पैरा सं॰ 6.3 पर आधारित ''सीजीएचएस में एलोपैथिक औषधियों की अधिप्राप्ति'' विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
15.	03.02.2015	1130	1400	02	30	16	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 32 पर आधारित ''कर्मचारी भविष्य निधि संगठन'' विषय पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	10.02.2015	1130	1400	02	30	12	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन संख्या 22 (संघ सरकार) पर आधारित ''अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीएच सेवा हेतु उपग्रह क्षमता का प्रबंधन'' विषय पर अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
17.	18.02.2015	1130	1430	03	00	06	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 6 पर आधारित ''विशेष प्रयोजन इकाइयों के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं'' विषय पर विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
18.	27.03.2015	1130	1415	02	45	14	(एक) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 18 पर आधारित ''स्मारकों तथा पुरावस्तुओं के परिरक्षण तथा संरक्षण'' विषयक संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य। (दो) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 22 पर आधारित'' समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 12 पर आधारित ''रेल वित्त'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ग) ''कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्वयन'' संबंधी 95वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन।

19.	09.04.2015	1430	1700	02	30	12	(एक) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 19 के पैरा सं॰ 6.3 पर आधारित ''सीजीएचएस में एलोपैथिक औषधियों की अधिप्राप्ति'' विषय पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य। (दो) निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना: (क) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 6 पर आधारित ''विशेष प्रयोजन इकाइयों के अंतर्गत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2012-13 के प्रतिवेदन संख्या 15 पर आधारित ''जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन। (ग) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 1 के पैरा 3.4 और 3.5 पर आधारित ''स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2012-13) से अधिक व्यय'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन।
20.	27.04.2015	1000	1045	00	45	09	''नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार तथा उसे स्वीकार करना।

परिशिष्ट पांच

(देखिए पैरा 1.7)

लोक लेखा समिति (2014-15) के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

1 मई, 2014 से 30 अप्रैल, 2015 तक हुई बैठकों की कुल संख्या-34 (मुख्य समिति और उप-समितियां)

क्र° सं°	सदस्य का नाम		भाग ली गई बैठकों की संख्या
	प्रो° के° वी° थॉमस	—	**सभापति** 20
		लोक सभा	
2.	श्री एस° एस° अहलुवालिया	—	11 (उप-समिति-एक की 1 बैठक सहित)
3.	श्री सुदीप बन्दोपाध्याय	—	—
4.	श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा	—	3
5.	श्री निशिकान्त दुबे	—	23 (उप-समिति-चार की 9 बैठकों सहित)
6.	श्री गजानन कीर्तिकर	—	15 (उप-समिति-चार की 4 और उप-समिति-पांच की 1 बैठक सहित)
7.	श्री भर्तृहरि महताब	—	26 (उप-समिति-चार की 9 बैठकों सहित)
8.	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'	—	9 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक सहित)
9.	श्री नेफिउ रिओ	—	6
*10.	श्री दुष्यंत सिंह	—	7 (उप-समिति-पांच की 1 बैठक सहित)
11.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	—	19 (उप-समिति-दो की 3 बैठकों सहित)
**12.	श्री शिवकुमार उदासी	—	13 (उप-समिति-चार की 5 बैठकों सहित)
13.	डॉ° किरीट सोमैया	—	13
14.	श्री अनुराग ठाकुर	—	7
***15.	डॉ° पी° वेणुगोपाल	—	7
		राज्य सभा	
16.	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	—	5 (उप-समिति-दो की 1 बैठक सहित)
17.	श्री विजय गोयल	—	11 (उप-समिति-दो की 3 बैठकों सहित)
18.	डॉ° सत्यनारायण जटिया	—	14 (उप-समिति-दो की 2 बैठकों सहित)
19.	श्री भुवनेश्वर कालिता	—	12 (उप-समिति-एक की 1 बैठक सहित)
20.	श्री शान्ताराम नायक	—	16 (उप-समिति-तीन की 1 बैठक सहित)
21.	श्री सुखेन्दु शेखर राय	—	13 (उप-समिति-पांच की 1 बैठक सहित)
22.	श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह	—	2

*श्री राजीव प्रताप रूडी (एक बैठक में भाग लिया) के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

**श्री जयंत सिन्हा (पांच बैठकों में भाग लिया) के दिनांक 9 नवम्बर, 2014 से मंत्री नियुक्त होने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

***डॉ° एम° तम्बिदुरई को माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा चुने जाने तथा तत्पश्चात्, उनके द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 से निर्वाचित।

परिशिष्ट छह

(देखिए पैरा 1.7)

लोक लेखा समिति (2014–15) की उप-समितियों की बैठकों की तिथियां और अवधि दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	जिन विषयों पर चर्चा की गई
		से	तक	घंटे	मिनट		
1	2	3	4	5	6	7	8
				उप-समिति-एक			
1.	06.01.2015	1500	1620	01	20	02	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा सं॰ 5.1 पर आधारित ''अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय'' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
				उप-समिति-दो			
1.	18.11.2014	1130	1300	01	30	04	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन संख्या 25 के पैरा सं॰ 4.2 पर आधारित ''सेन्टर बफर कप्लर (सीबीसी) घटकों के विफल होने के कारण रेलगाड़ी अलगाव के लिए हानि'' विषय पर रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
2.	03.12.2014	1530	1635	01	05	03	''रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण'' विषय के संबंध में रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
3.	31.03.2015	1100	1215	01	15	02	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं॰ 32 के पैरा सं॰ 3.1 पर आधारित ''भारतीय रेल की अधिशेष भूमि का वाणिज्यिक उपयोग'' विषय पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8
				उप-समिति-तीन			
1.	26.11.2014	1500	1600	01	00	02	उप-समिति को आबंटित विषयों से संबंधित प्रारंभिक पहलुओं और भावी कार्य योजना पर चर्चा करने हेतु आरंभिक बैठक।
				उप-समिति-चार			
1.	05.11.2014	1100	1200	01	00	03	भावी कार्यक्रम बनाने के लिए आरंभिक बैठक।
2.	18.11.2014	1500	1630	01	30	03	''चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
3.	28.01.2015	1130	1250	01	20	04	''चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं (सिविल और अन्य मंत्रालय) के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषय पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	02.02.2015	1130	1245	01	15	02	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के ''चयन न किए गए लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषय पर रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
5.	11.02.2015	1500	1700	02	00	03	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के ''चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न

1	2	3	4	5	6	7	8
							प्रस्तुत किया जाना'' विषय पर गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय (यूटी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
6.	19.02.2015	1500	1615	01	15	03	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के ''चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषय पर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
7.	23.03.2015	1430	1515	01	45	04	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के ''चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
8.	06.04.2015	1400	1500	01	00	03	भावी कार्यक्रम बनाना।
9.	16.04.2015	1445	1530	00	45	03	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के ''चयन न किए गए पैराओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्यवाही टिप्पणों को समय पर न प्रस्तुत किया जाना'' विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना।
					उप-समिति-पांच		
1.	23.04.2015	1600	1700	01	00	03	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन सं॰ 9 के पैरा सं॰ 6.1 और 6.3 पर आधारित विषयों से संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

परिशिष्ट सात

(देखिए पैरा 1.9)

लोक लेखा समिति (2014-15) के अध्ययन दौरे का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	दौरे की तिथि और अवधि	दौरे में शामिल सदस्यों के नाम	दौरा किए गए स्थानों और संगठनों के नाम	अध्ययन किए गए विषय
1	2	3	4	5
1.	10.11.2014 से 13.11.2014 तक (चार दिन)	प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस, माननीय सभापति श्री भर्तृहरि महताब, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, डॉ॰ किरीट सोमैया, श्री शान्ताराम नायक, श्री सुखेन्दु शेखर राय,श्री विजय गोयल, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी और डॉ॰ सत्यनारायण जटिया	बंगलुरु, कोच्चि और लक्षद्वीप	बंगलुरु में (एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीईसी) के प्रतिनिधियों ने सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, दक्षिणी जोन (तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल) के मुख्य आयुक्तों के साथ जोन के समग्र कार्यनिष्पादन और दक्षिणी जोन के विशेष संदर्भ में सीएंडएजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 11 पर आधारित ''भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5)'' विषय पद चर्चा की; (दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक/बंगलुरु क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों के साथ निम्नांकित लेखापरीक्षा पैराओं पर सीएंडएजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 32 पर आधारित ''कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निष्पादन लेखापरीक्षा'' विषय के संबंध में चर्चा की: (क) 'निरीक्षण' (पैरा 3.4); (ख) 'भविष्य निधि एवं प्रशासनिक प्रभारों के बकाया' (पैरा 4.3); (ग) 'विलंबित क्रेडिट के लिए बैंक द्वारा देय ब्याज' (पैरा 4.4); (घ) 'चूक की स्थिति में नियोक्ताओं से बकायों का निर्धारण' (पैरा 4.7) और (ङ) 'चूककर्त्ताओं से देयताओं की वसूली' (पैरा 4.8)। कोच्चि में (एक) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों तथा केरल/कोच्चि के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के साथ निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैराओं पर सीएंडएजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 28 पर आधारित ''शास्ति और अभियोजन प्रशासन'' विषय के संबंध में चर्चा की (क) 'संपदा कर अधिनियम के अंतर्गत शास्ति न लगाना' (पैरा 2.10.1); (ख) 'टीडीएस अधिकारियों द्वारा शास्तियां' (पैरा 2.11.2); (ग) 'आयकर रिटर्नों, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, बही खातों इत्यादि से संबंधित फाइलिंग की अपेक्षाओं

1	2	3	4	5
				का अनुपालन करने में विफलता' (पैरा 2.12); (घ) 'उच्च न्यायालयों में लंबित मामले' (पैरा 3.5.3); और (ङ) 'कम मूल्य वाले मामलों का अभियोजन' (पैरा 3.11.12)। (दो) विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा मुख्य सचिव, केरल सरकार के साथ निम्नांकित लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में सीएंडएजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 27 पर आधारित ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' के संबंध में चर्चा की: (क) 'ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को तैयार और अधिसूचित करना' (पैरा 3.6); (ख) 'क्षेत्र सर्वेक्षण के बिना डीपीआर तैयार किया जाना' (पैरा 3.7); (ग) 'कार्य पूरा होने में देरी '(पैरा 5.5.3); (घ) 'करों में कटौती न करना' (पैरा 5.9.4); और (ङ) 'दूसरे चरण की निगरानी' (पैरा 6.2.2)। (तीन) पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिननिधियों तथा सीएमडी, कोचीन पत्तन निगम के साथ कोचीन पत्तन के समग्र निष्पादन और कार्यकरण तथा निम्नांकित लेखापरीक्षा पेराओं के संबंध में वर्ष 2009-10 के सी एंड एजी के प्रतिवेदन सं॰ 3 पर आधारित ''भारत के प्रमुख पत्तन न्यासों का कार्यकरण'' विषय पर चर्चा की: (क) 'रखरखाव तलकर्षण का अपर्याप्त प्रबंध' (पैरा 2.2.2); (ख) 'अपर्याप्त हैंडलिंग अवसंरचना' (पैरा 3.1.2); (ग) 'पुराने तथा अनुपयोगी उपकरण' (पैरा 3.4.1); (घ) 'बर्थ आक्युपेंसी (पैरा 5.5); और (ङ) बीओटी समझौतों में कमियां (पैरा 6.3.2)।
				लक्षद्वीप में: पोत परिवहन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), नागर विमानन मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की: (क) मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 19 के पैरा 14.7 पर आधारित 'लैंडिंग नौकाओं के प्रापण में निष्फलता के परिणामस्वरूप 12.21 करोड़ रुपए का अपव्यय'; और (ख) मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2013 के सी एंड एजी के प्रतिवेदन सं॰ 19 के पैरा 14.8 पर आधारित ''राडार ट्रांसपोंडरों को संस्थापित न किया जाना''

1	2	3	4	5
				कोच्चि में: रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों, सीएमडी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और वाइस एडमिरल, दक्षिणी नौवहन कमान के साथ निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैराओं पर सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 31 पर आधारित ''भारतीय नौसैनिक जहाजों के जीर्णोद्धार की योजना और प्रबंधन'' विषय पर चर्चा की: (क) रिफिट्स की ऑफलोडिंग, केस IV आईएनएस निरीक्षक ''आईएनएस निरीक्षक'' (पैरा 2.4); (ख) 'अतिरिक्त आधारभूत संरचना का निर्माण' (पैरा 4.4); (ग) 'यूनिट ऑफ वर्कलोड के रूप में मैट्रिक्स यूनिट' (पैरा 4.5.1); (घ) 'स्थानीय स्तर पर भंडारों की खरीद केस II कलपुर्जों की अनावश्यक खरीद (पैरा 4.7); और (ङ) लागत लेखा तैयार न किया जाना (पैरा 5.6)
2.	17.1.2015 से 21.1.2015 तक (पांच दिन)	प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस, माननीय सभापति श्री भर्तृहरि महताब, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, डॉ॰ किरीट सोमैया, श्री निशिकान्त दुबे श्री गजानन कीर्तिकर, श्री दुष्यंत सिंह, श्री शिवकुमार उदासी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री भुवनेश्वर कालिता, श्री शान्ताराम नायक और श्री सुखेन्दु शेखर राय	गोवा, मुम्बई और चेन्नई	**गोवा में**—चेयरमैन, मोरमूगाओ पत्तन न्यास के साथ सामान्यत: पत्तनों के समग्र निष्पादन, सी एंड एजी के वर्ष 2009-10 के प्रतिवेदन सं॰ 3 के अध्याय-4 'पत्तनसम्पर्क' और 'कार्यान्वयन में विलंब' विषयक अध्याय 6 के पैरा 6.2.1 तथा सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 16.1 पर आधारित 'मं॰प्र॰प्रा॰ द्वारा निर्धारित प्रभारों हेतु दरों के गलत तरीके से लगाने के कारण' के विशेष संदर्भ में ''प्रमुख पत्तन न्यास के कार्यकरण'' विषय पर चर्चा की; (दो) मुख्य आयुक्त सीमा शल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ निम्नवत् विषयों पर चर्चा की: (क) सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 12 के अध्याय छह पर आधारित 'स्वापक पदार्थों का प्रबंधन'; (ख) सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 12 के अध्याय-सात (क) पर आधारित 'जब्त और अधिग्रहण किए गए माल का निपटान'; (ग) सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 12 के अध्याय-आठ (ग) पर आधारित 'सार्वजनिक एवं निजी अनुबद्ध भांडागार'। **मुम्बई में**—(एक) नागर विमानन मंत्रालय और मुम्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 15 पर आधारित

1	2	3	4	5
				''छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई पर सरकारी-निजी भागीदारी परियोजना का क्रियान्वयन'' विषय पर अनौपचारिक चर्चा की; (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों और बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल के सीएमडी के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 14 और निम्नलिखित अध्यायों/लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर आधारित ''केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारित की प्रक्रिया'' विषय पर चर्चा की: (क) 'ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन (जीआरएम) प्राइवेट और बेंचमार्क्ड सिंगापुर रिफाइनरीज की तुलना में कम है' (अध्याय-तीन, पैरा 3.1.3); (ख) 'हाई सल्फर (एचएस) क्रूड को प्रोसेस करने की क्षमता' (अध्याय-तीन, पैरा 3.1.3); (ग) 'ईंधन और नुकसान' (अध्याय-तीन) पैरा 3.1.3 **(iii)**; (घ) 'एचपीसीएल, बीपीसीएल, मुम्बई रिफाइनरीज में प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुधार की गुंजाइश' (अध्याय-तीन, पैरा 3.1.3 **(iv)**; और (ङ) 'विपणन क्षेत्र में निवेश और ओएमसी को इसका लाभ- (क) विपणन लागत, (ख) विपणन लाभ, (ग) खुदरा बिक्री केन्द्र प्रभार संबंधी लाभ' (अध्याय-तीन पैरा 3.1.7); (तीन) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों और आयकर के मुख्य आयुक्त के साथ ''धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को छूट'' विषयक् सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 20 में मुम्बई क्षेत्र से संबंधित पैराओं के विशेष संदर्भ में मुम्बई, प्रभार के समग्र निष्पादन पर चर्चा की; (चार) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों और एमटीएनएल के सीएमडी के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन सं॰ 17 के पैरा 2.1 पर आधारित ''दूरसंचार सेवा सम्भरकों द्वारा अभिदाता सत्यापन'' विषय पर चर्चा; (पांच) रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 30 के पैरा 2.1 पर आधारित ''रक्षा भूमि का अनुचित प्रबंधन'' विषय पर महाराष्ट्र में रक्षा भूमि के विशेष संदर्भ में समग्र निष्पादन पर चर्चा की;

1	2	3	4	5
				चेन्नई में: (एक) रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य और दक्षिण रेलवे जोन के प्रतिनिधियों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 25 के पैरा 4.1 पर आधारित ''भारतीय रेल में रेल इंजनों के अनुरक्षण संबंधी विषयक् लेखापरीक्षा'' विषय के संबंध में चेन्नई/तमिलनाडु जोन के समग्र निष्पादन पर चर्चा की; (दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग-सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों और आयकर के मुख्य आयुक्तों के साथ ''शास्ति और अभियोजन प्रशासन'' विषयक् सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 28 में चेन्नई प्रभार से संबंधित पैराओं के विशेष संदर्भ में चेन्नई प्रभार के समग्र निष्पादन पर अनौपचारिक चर्चा की।
3.	10.4.2015 11.4.2015 तक (दो दिन)	प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस, माननीय सभापति श्री भर्तृहरि महताब, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री गजानन कीर्तिकर, डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल, श्री शान्ताराम नायक और श्री विजय गोयल	हैदराबाद	**हैदराबाद में:** श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक के साथ हैदराबाद क्षेत्र के विशेष संदर्भ में सी एंड एजी के वर्ष 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं॰ 30 पर आधारित ''कर्मचारी राज्य बीमा निगम'' विषय पर चर्चा की; (दो) रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ के प्रतिनिधियों के साथ सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 30 (संघ सरकार, रक्षा सेवाएं—थल सेना और आयुध निर्माणियां) के पैरा सं॰ 5.2 और 5.3 पर आधारित क्रमश: ''सीएटीआईए वी 6 सॉफ्टवेयर की अवांछनीय अधिप्राप्ति'' और ''रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अधिप्राप्ति में नियमों के उल्लंघन'' विषयों पर चर्चा की; (तीन) रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों और दक्षिण केन्द्रीय और दक्षिण रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ दक्षिण केन्द्रीय और दक्षिणी जोन के विशेष संदर्भ में सी एंड एजी के वर्ष 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं॰ 32 के पैरा 3.1 पर आधारित ''भारतीय रेलवे में बेशी रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग'' विषय के संबंध में चर्चा की; (चार) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग- सीबीडीटी) के प्रतिनिधियों आयकर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त के साथ हैदराबाद जोन/क्षेत्र के विशेष संदर्भ में सी एंड एजी के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 28 पर आधारित ''शास्ति और अभियोजना प्रशासन की निष्पादन लेखापरीक्षा'' विषय पर चर्चा की।

परिशिष्ट आठ

(देखिए पैरा 2.2)

प्राक्कलन समिति (2014-15) की संरचना

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी — **सभापति**

सदस्य

2. श्री सुल्तान अहमद
3. श्री कीर्ति आजाद
4. श्री कल्याण बनर्जी

*5. श्री ओम बिरला

6. श्री दिलीप सिंह भूरिया
7. श्री अश्विनी कुमार चौबे
8. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण
9. कर्नल सोनाराम चौधरी
10. श्री रमेन डेका
11. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
12. श्री संजय धोत्रे
13. श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदार

^14. श्री सुधीर गुप्ता

15. डॉ॰ संजय जायसवाल
16. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
17. श्रीमती कविता कलवकुंतला
18. श्री नलीन कुमार कटील
19. श्री विनोद खन्ना
20. श्री पी॰ कुमार
21. श्री के॰ एच॰ मुनियप्पा
22. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
23. श्री के॰ एन॰ रामचन्द्रन
24. श्री जे॰ सी॰ दिवाकर रेड्डी
25. मोहम्मद सलीम
26. श्री अरविंद सावंत
27. श्री गणेश सिंह
28. श्री कीर्ति वर्धन सिंह
29. श्री राजेश वर्मा
30. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

---

* श्री हरि भाई चौधरी, संसद सदस्य, लोक सभा के 9.11.2014 से मंत्रिमंडल में नियुक्ति होने के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप लोक सभा समाचार भाग-दो सं॰ 987 दिनांक 03.12.2014 (*देखिए*) के अंतर्गत निर्वाचित।

^ श्री राम कृपाल यादव, संसद सदस्य, लोक सभा के 9.11.2014 से मंत्रिमंडल में नियुक्ति होने के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप लोक सभा समाचार भाग-दो सं॰ 987 दिनांक 03.12.2014 (*देखिए*) के अंतर्गत निर्वाचित।

परिशिष्ट नौ

(देखिए पैरा 2.4)

प्राक्कलन समिति (2014-15) की बैठकों का ब्यौरा तथा अवधि दर्शाने वाला विवरण

सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषय

क्रम सं॰	बैठक की तारीख	से (घंटे : मिनट)	तक (घंटे : मिनट)	अवधि (घंटे : मिनट)	उपस्थित सदस्यों की संख्या	चर्चा किए गए विषय
1	2	3	4	5	6	7
1.	28.08.2014	1100	1250	1 घं॰ 50 मि.	21	ज्ञापन सं॰ 1 तथा समिति के भावी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करना।
2.	15.09.2014	1100	1410	3 घं॰ 10 मि॰	25	'भू-जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना' विषय के संबंध में जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
3.	15.09.2014	1500	1700	2 घं॰	25	''ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम'' विषय के संबंध में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
4.	16.09.2014	1130	1400	2 घं॰ 30 मि॰	16	''ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम'' विषय के संबंध में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का आगे मौखिक साक्ष्य।
5.	22.09.2014	1100	1455	3 घं॰ 55 मि॰	18	निम्नलिखित विषयों (एक) 'भू जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना', तथा (दो) ''राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम'' के संबंध में विशेषज्ञों की व्यक्तिगत सुनवाई।
6.	13.10.2014	1100	1330	2 घं॰ 30 मि॰	20	'भू-जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना' विषय के संबंध में कृषि मंत्रालय कृषि और सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
7.	13.10.2014	1500	1745	2 घं॰ 45 मि॰	21	निम्नलिखित विषयों (एक) 'भू जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना', तथा (दो) ''ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम'' के संबंध में (एक) जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय; (दो) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा (तीन) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
8.	27.10.2014	1100	1410	3 घं॰ 10 मि॰	24	'भू-जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना' विषय के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य

1	2	3	4	5	6	7
9.	08.12.2014	1500	1615	1 घं॰ 15 मि॰	16	'भू-जल में अत्यधिक आर्सेनिक कंटेंट का पाया जाना' विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार और उसे स्वीकार करना।
10.	31.12.2014	1540	1730	1 घं॰ 50 मि॰	10	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र — एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में पणधारियों की मौखिक सुनवाई।
11.	01.01.2015	1100	1330	2 घं॰ 30 मि॰	09	'भारत में आर्गेनिक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय के संबंध में पणधारियों की मौखिक सुनवाई।
12.	19.01.2015	1500	1730	2 घं॰ 30 मि॰	13	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र — एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
13.	20.01.2015	1100	1400	3 घं॰	16	'आर्गेनिक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय के संबंध में कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
14.	09.02.2015	1500	1730	2 घं॰ 30 मि॰	10	'आर्गेनिक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय के संबंध में विशेषज्ञों/गैर-अधिकारियों की सुनवाई।
15.	10.02.2015	1100	1315	2 घं॰ 15 मि॰	17	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र — एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में विशेषज्ञों/गैर-अधिकारियों की सुनवाई।
16.	10.02.2015	1430	1545	1 घं॰ 15 मि॰	17	'आर्गेनिक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय के संबंध में विशेषज्ञों/गैर-अधिकारियों की सुनवाई।
17.	10.03.2015	1515	1650	1 घं॰ 35 मि॰	13	'आर्गेनिक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय के संबंध में विशेषज्ञों/गैर-अधिकारियों की सुनवाई।
18.	10.03.2015	1650	1800	1 घं॰ 10 मि॰	13	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र-एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में विशेषज्ञों/गैर-अधिकारियों की सुनवाई।
19.	25.03.2015	1130	1315	1 घं॰ 45 मि॰	16	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र—एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
20.	25.03.2015	1430	1545	1 घं॰ 15 मि॰	17	'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र—एक सिंहावलोकन' विषय के संबंध में वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7
21.	15.04.2015	1500	1600	1 घं०	13	(एक) ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का मूल्यांकन, (दो) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम विषय के संबंध में प्राक्कलन समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन, और (तीन) राष्ट्रीय वनरोपन कार्यक्रम विषय के संबंध में प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के 36वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार तथा उसे स्वीकार करना।
22.	24.04.2015	1000	1100	1 घं०	12	(एक) 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा संबंधी नियामक तंत्र—एक सिंहावलोकन', (दो) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) विषय के संबंध में प्राक्कलन समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन, (तीन) परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट एरो विषय के संबंध में प्राक्कलन समिति (15वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन, और (चार) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा विषय के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

परिशिष्ट दस

(**देखिए** पैरा 2.5)

प्राक्कलन समिति (2014-15) की बैठकों की संख्या और उनमें प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या — 22

1.	डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी	22
2.	श्री सुल्तान अहमद	14
3.	श्री कीर्ति आजाद	17
4.	श्री कल्याण बनर्जी	12
*5.	श्री ओम बिरला	04
6.	श्री दिलीप सिंह भूरिया	13
7.	श्री अश्विनी कुमार चौबे	15
8.	श्री अशोक शंकरराव चव्हाण	05
9.	कर्नल सोनाराम चौधरी	16
10.	श्री रमेन डेका	10
11.	श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव	18
12.	श्री संजय धोत्रे	14
13.	श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर	15
^14.	श्री सुधीर गुप्ता	08
15.	डॉ॰ संजय जायसवाल	14
16.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	09
17.	श्रीमती कविता कलवकुंतला	10
18.	श्री नलीन कुमार कटील	05
19.	श्री विनोद खन्ना	10
20.	श्री पी॰ कुमार	11
21.	श्री के॰एच॰ मुनियप्पा	13
22.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	15

* श्री हरिभाई चौधरी, लोक सभा सदस्य के दिनांक 9.11.2014 से मंत्री परिषद में नियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप निर्वाचित, **देखिए** दिनांक 03.12.2014 का लोक सभा समाचार भाग-II सं॰ 987

^ श्री राम कृपाल यादव, लोक सभा सदस्य के दिनांक 9.11.2014 से मंत्री परिषद में नियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के परिणामस्वरूप निर्वाचित, **देखिए** दिनांक 03.12.2014 का लोक सभा समाचार भाग-II सं॰ 987

23.	श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन	10
24.	श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी	13
25.	मोहम्मद सलीम	13
26.	श्री अरविंद सावंत	14
27.	श्री गणेश सिंह	06
28.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह	07
29.	श्री राजेश वर्मा	10
30.	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	12

परिशिष्ट ग्यारह

(देखिए पैरा 3.2)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014–15) की संरचना

श्री शान्ता कुमार — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एल॰के॰ आडवाणी
3. श्री रमेश बैस
4. श्री पंकज चौधरी
5. श्री नन्दकुमार सिंह चौहान
6. श्री बिरेन सिंह इंगती
7. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
8. डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू
9. योगी आदित्यनाथ
10. श्री बैजयंत जे पांडा
11. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
12. श्री रामसिंह राठवा
13. श्री रायपति सम्बासिवा राव
14. प्रो॰ सौगत राय
15. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

राज्य सभा

16. श्री नरेश अग्रवाल
17. श्री नरेन्द्र बुढानिया
18. श्री माजीद मेमन
19. श्री एस॰ मुत्तुकरुप्पन
20. श्री रंगासायी रामाकृष्णा
21. श्री सी॰एम॰ रमेश
22. श्री तपन कुमार सेन

परिशिष्ट बारह

(देखिए पैरा 3.5)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठकों की तिथि तथा अवधि को दर्शाने वाला विवरण

सदस्यों की उपस्थिति तथा चर्चा किए गए विषय (2014–15)

कुल बैठकें: 14

बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	समय		अवधि		उपस्थित सदस्यों की संख्या	अनुपस्थित सदस्यों की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की प्रतिशतता	सत्र/अंतर-सत्रावधि	विषय
		से	तक	घंटा	मिनट					
1	2	3		4		5	6	7	8	9
पहली	09.09.2014	1100	1155	0	55	17	05	77.	अंतर-सत्रावधि	वर्ष 2014-15 के दौरान जांच हेतु विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन सं॰ 1 पर विचार करना।
दूसरी	16.09.2014	1100	1200	1	00	12	10	55.	अंतर-सत्रावधि	एनएचएआई को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार में लाने के विषय को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय और विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
तीसरी	25.09.2014	1100	1210	1	10	11	11	50.	अंतर-सत्रावधि	केन्द्रीय क्षेत्र के चुनिंदा सरकारी उपक्रमों में उत्तराधिकार योजना संबंधी समस्तरीय अध्ययन के संबंध में लोक उद्यम विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण

									विभाग व लोक उद्यम चयन बोर्ड के प्रतिनिधियों से संक्षिप्त जानकारी लिया जाना।
चौथी	10.10.2014	1100	1250	1 50	12	10	55.	अंतरसत्रावधि	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की जांच के संबंध में कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
पांचवीं	30.10.2014	1500	1630	1 30	12	10	55.	अंतरसत्रावधि	एनटीसी की जांच के संबंध में वस्त्र मंत्रालय और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
छठी	12.11.2014	1500	1710	2 10	16	06	73.	अंतरसत्रावधि	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विद्युत उपकरण विनिर्माण क्षमता के विस्तार और इसके उपयोग के संबंध में वर्ष 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं॰ 26 (निष्पादन लेखा-परीक्षा) समेत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विषय पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
सातवीं	13.11.2014	1100	1220	1 20	15	07	68.	अंतरसत्रावधि	एचओसीएल की जांच के संबंध में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) व हिन्दुस्तान

1	2	3		4		5	6	7	8	9
										ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
आठवीं	02.12.2014	1600	1700	1	—	07	15	32.	सत्र	कर्नाटक विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के साथ बातचीत।
नौवीं	16.12.2014	1500	1535	—	35	09	13	41.	सत्र	भारतीय खाद्य निगम में भंडारण प्रबंधन और खाद्यान्नों के संचलन के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013 के प्रतिवेदन सं॰ 7, कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा पर आंशिक रूप से आधारित भारतीय खाद्य निगम संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 15वीं लोक सभा के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना।
दसवीं	06.1.2015	1500	1630	1	30	11	11	50%	अंतर-सत्रावधि	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि॰ की जांच के संबंध में इसके प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
ग्यारहवीं	28.1.2015	1500	1640	1	40	10	12	45%	अंतर-सत्रावधि	ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल की कीमत पर कन्डेन्सेट की खरीद संबंधी

										15वीं लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना और केंद्रीय क्षेत्र के चुनिंदा सरकारी उपक्रमों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व विषय पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना।
बारहवीं	6.4.2015	1100	1230	1	30	16	06	73%	अंतर-सत्रावधि	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संबंध में 15वीं लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में प्रारूप की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना और केंद्रीय क्षेत्र के चुनिंदा सरकारी उपक्रमों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व विषय पर एनटीपीसी लि॰ के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।
तेरहवीं	7.4.2015	1100	1145	–	45	12	10	55%	अंतर-सत्रावधि	कोल इंडिया लि॰ के प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाना और केंद्रीय क्षेत्र के चुनिंदा सरकारी उपक्रमों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व विषय पर एनएचपीसी लि॰ के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
चौदहवीं	24.4.2015	1500 1530	– 30	09	13	41%	सत्र	वर्ष 2011–12 के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सं॰ 3 के पैरा 2.5 पर आधारित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड-मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की ओर से श्विासजन्य क्षमता में एस्क्रो खाते से अप्राधिकृत रूप से निकासी संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (15वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई और भाविनि से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना।

परिशिष्ट तेरह

(देखिए पैरा 3.5)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2014–15) की उसके कार्यकाल शुरू होने की अवधि से 30 अप्रैल, 2015 तक हुई बैठकों की कुल संख्या और उनमें समिति के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को दर्शाने वाला विवरण

कुल बैठकों की संख्या: 14

क्रम सं॰	सदस्य का नाम	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
	सदस्य	
	लोक सभा	
1.	श्री शान्ता कुमार — **सभापति**	12
2.	श्री एल॰के॰ आडवाणी	13
3.	श्री रमेश बैस	10
4.	श्री पंकज चौधरी	06
5.	श्री नन्द कुमार चौहान	01
6.	श्री बिरेन सिंह इंगती	04
7.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	06
8.	डॉ॰ कंभमपति हरिबाबू	03
9.	योगी आदित्यनाथ	02
10.	श्री बैजयंत जे पांडा	10
11.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	11
12.	श्री रामसिंह राठवा	10
13.	श्री रायपति सम्बासिवा राव	13
14.	प्रो॰ सौगत राय	10
15.	श्री बी॰ सेनगुट्टुवन	06
	राज्य सभा	
16.	श्री नरेश अग्रवाल	06
17.	श्री नरेन्द्र बुढानिया	11
18.	श्री माजीद मेमन	11
19.	श्री एस॰ मुत्तुकरूप्पन	08
20.	श्री रंगासायी रामाकृष्णा	12
21.	श्री सी॰एम॰ रमेश	05
22.	श्री तपन कुमार सेन	11

परिशिष्ट चौदह

(देखिए पैरा 3.7)

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन दौरा और समिति द्वारा दौरा किए गए स्थान

11 से 16 फरवरी, 2015 तक चेन्नई, महाबलीपुरम, तिरूवनन्तपुरम, कन्याकुमारी और बंगलुरू का अध्ययन दौरा

क्रम सं॰	कंपनी का नाम	दौरे की तिथि	संरचना
1.	शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11.2.2015	**लोक सभा** एक. श्री शांता कुमार,
2.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	11.2.2015	**सभापति** दो. श्री पंकज चौधरी
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	13.2.2015	तीन. श्री दिलीपकुमार
4.	इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड	13.2.2015	मनसुखलाल गांधी
5.	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	14.2.2015	चार. श्री प्रहलाद सिंह पटेल पांच. श्री रामसिंह राठवा
6.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.2.2015	छह. प्रो॰ सौगत राय
7.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.2.2015	**राज्य सभा**
8.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.2.2015	
9.	ऐन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	16.2.2015	सात. श्री नरेन्द्र बुढानिया
10.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	16.2.2015	आठ. श्री एस॰ मुत्तुकरूप्पन नौ. श्री रंगासायी रामाकृष्णा दस. श्री सी॰एम॰ रमेश ग्यारह. श्री तपन कुमार सेन

GMGIPMRND—2681LS—01-01-2016—315 Copies

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोडद्व नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।